उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या- सी-29 /MKSY/नि० एवं वि०/2026-27 दिनांक- 23/10/2026

समस्त वरिष्ठ/ शाखा प्रबंधक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के परिचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० की "मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना" के संबंध में उ०प्र० शासन के सहकारिता अनुभाग-3 के पत्र संख्या-49-3099/251/2025 दिनांक 18.09.2026 एवं पत्र संख्या- I/1502321/2026 दिनांक 23.10.2026 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन में बैंक में प्रावधानित नियमों के क्रम में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजान्तर्गत ऋण वितरण, वसूली एवं लेखांकन के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत निर्गत किए जाते हैं-

1- योजना की रूपरेखा:-

1(i)- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को पात्रता की शर्तों के अधीन अधिकतम रू० 6.00 लाख तक का ऋण वितरित किया जाएगा।

1(ii)- योजना में बैंक की निर्धारित ऋण ब्याज दर 11% होगी।

1(iii)- नियत देय तिथि पर अदायगी करने पर प्रभावी ब्याज दर 6.00 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा अवशेष 5.00 प्रतिशत का ब्याज उपादान उ०प्र० शासन द्वारा प्रदान किया जायेगा।

1(iv)- योजनान्तर्गत ब्याज उपादान का लाभ रू० 6.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा।

1(v)- रू० 6.00 लाख से अधिक के ऋण वितरण की दशा में अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज, बैंक की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के अनुसार देय होगा।

2- योजना का मूल वित्तीय ढांचा:-

क्रम	विषय	परिचालन व्यवस्था
i	निर्धारित ऋण ब्याज दर	11 प्रतिशत वार्षिक
ii	ब्याज अनुदान	पात्र एवं निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
iii	प्रभावी ब्याज दर	पात्रता की शर्त पूरी होने पर निर्धारित ब्याज दर 11% में 5% ब्याज उपादान के उपरांत 6% रहेगा।
iv	किस्त निर्धारण	ई०एम०आई०(EMI) निर्धारित ब्याज दर 11% के आधार पर बनाई जाएगी
v	अनुदान का स्वरूप	5% ब्याज उपादान पात्रता के अनुसार पृथक रूप से समायोजित किया जाएगा।

3- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की पात्रता:-

3(i)- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक नियमानुसार इस योजना में ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। कृषक द्वारा दिए जाने वाले शपथ-पत्र में लघु एवं सीमान्त कृषक होने का उल्लेख भी किया जाएगा। इस संबंध में किसी संशय/विवाद की स्थिति में मुख्यालय स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3(ii)-ऐसे ऋणी सदस्य, जिन्हें ऋण वितरण 1 मार्च 2021 के बाद किया गया है एवं उनके ऋण खाते, योजना में शामिल होने की तिथि के पूर्व नियमित हैं, अपने अवशेष मूलधन एवं अवशेष अवधि हेतु नियमानुसार मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पात्र होंगे।

3(iii)-ऐसे ऋणी कृषक जिनके ऋण खाते नियमित नहीं हैं अथवा एन.पी.ए. हैं अथवा किसी अन्य कार्यवाही से आच्छादित हैं को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण खाते की सम्पूर्ण धनराशि (सभी व्ययों सहित) जमा कर, बन्द करते हुए नियमानुसार मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पात्र होंगे।

3(iv)-मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना एन०बी०सी०एफ०डी०सी० एवं एन०एस०एफ०डी०सी० की योजनाओं में लागू नहीं होगी।

4- ऋण वितरण की प्रक्रिया:-

4(i)-योजनान्तर्गत ऋण वितरण का कार्य MKSY पोर्टल(**mksyldb.in**) के माध्यम से करते हुए समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा।

4(ii)-ऋण अभिलाषी का पंजीकरण MKSY पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है, जो कि कृषक द्वारा स्वयं अथवा संबंधित शाखा कार्मिक के सहयोग से किया जा सकता है।

4(iii)-ऋण आवेदन, पंजीकृत ऋण अभिलाषी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा संबंधित शाखा के माध्यम से कराया जा सकता है।

4(iv)-शाखा प्रबंधक द्वारा नियमित MKSY पोर्टल पर लॉगिन करते हुए प्राप्त ऋण आवेदनों का परीक्षण एवं निस्तारण के संबंध में नियमानुसार 15 दिनों के अंदर समस्त कार्यवाही की जाए।

4(v)-ऋणी कृषक सदस्य का बचत खाता यथासंभव नजदीकी जिला सहकारी बैंक/उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० में खुलवाते हुए ऋण धनराशि को RTGS के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। शाखाओं का खाता भी यथासंभव जिला सहकारी बैंक/उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० में रखा जाएगा।

5- राज्य सरकार से ब्याज उपादान (5.00 प्रतिशत वार्षिक) का लाभ ऋणी सदस्य को देने की अनुमन्यता:-

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले समस्त कृषक सदस्यों को ब्याज उपादान का लाभ निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त होगा:-

5(i)- संदर्भित योजनान्तर्गत देय 5% (पाँच प्रतिशत) ब्याज उपादान उन्ही ऋणी कृषकों को अनुमन्य होगा, जो नियत देय किस्तों का भुगतान नियत देय तिथि तक करेंगे।

5(ii)- ऋणी सदस्य को योजना में लिए गए ऋण के निर्धारित जेस्टेशन पीरियड में ब्याज उपादान का लाभ अनुमन्य होगा।

5(iii)- यदि ऋणी सदस्य द्वारा लगातार 3 मासिक किस्तों से अधिक की अदायगी नियत देय तिथि तक नहीं की जाती है तो, अतिदेय (overdue) किश्तों पर ब्याज उपादान (5%) का लाभ देय नहीं होगा। ऐसी दशा में अवशेष लगे ऋण (Balance Outstanding) पर किश्तों की अतिदेय अवधि पर सामान्य ब्याज दर 11% चार्ज करते हुए वसूली की जाएगी एवं पृथक से लेखा पारित किया जाएगा।

5(iv)- ऋणी सदस्य द्वारा लगातार 03 मासिक किश्तों के जमा न होने की दशा में तीसरी देय (Due) किश्त के माह की अन्तिम तिथि पर या उसके पूर्व जिन देय (Due) किश्तों की धनराशि अदा कर दी जाती है तो उनको उन किश्तों पर निर्धारित ब्याज उपादान (5%) का लाभ प्राप्त होगा।

5(v)- ऋणी सदस्य द्वारा अपने समस्त अतिदेय (overdue) किश्तों की धनराशि (उपरोक्तानुसार अतिदेय अवधि पर सामान्य ब्याज दर 11% एवं 2% वार्षिक दण्ड ब्याज) की अदायगी करने के उपरांत **खाता नियमित होने पर आगामी किस्तों की समय से अदायगी करने पर ब्याज उपादान का लाभ अनुमन्य होगा।** प्राप्त धनराशि से पहले ब्याज का समायोजन किया जाएगा।

5(vi)- Default मासिक किस्तों (EMI) पर अतिदेय अवधि का 2% वार्षिक दण्ड ब्याज (Penal Interest) चार्ज किया जाएगा।

6- **<u>1 मार्च 2021 के पश्चात वितरित ऋणों के संबंध में:-</u>**

6(i)-ऐसे ऋणी सदस्य, जिन्हें ऋण वितरण 1 मार्च 2021 के बाद किया गया है एवं उनके ऋण खाते, योजना में शामिल होने की तिथि के पूर्व नियमित हैं, को यह विकल्प होगा कि वह ब्याज उपादान की नयी योजना का विकल्प देते हुए अपने अवशेष मूलधन एवं अवशेष अवधि हेतु मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में शामिल हो सकते हैं।

6(ii)-उक्त ऋणी सदस्य के ऋण की अवशेष मूलधन की समानीकृत मासिक किश्त (EMI) उसके अवशेष भुगतान अवधि के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी।

6(iii)-उक्त ऋणी सदस्य को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की सेवा शर्तों को संलग्न प्रारूप(MKSY001) पर शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकारोक्ति देनी होगी।

6(iv)- शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋणी सदस्य से निर्धारित प्रारूप(संलग्न MKSY002) पर विकल्प पत्र भरवाकर अपनी संस्तुति सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक नियमों के आलोक में परीक्षण कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर उसकी एक प्रति बैंक मुख्यालय के ऋण अनुभाग को प्रेषित की जाएगी, जिसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी। समीक्षा में यदि कोई संदिग्ध प्रकरण प्रकाश में आता है तो, इस पर अंतिम निर्णय बैंक मुख्यालय स्तर से लिया जाएगा।

7- **ऐसे ऋणी कृषक जिनके ऋण खाते नियमित नहीं हैं अथवा एन.पी.ए. हैं अथवा किसी अन्य कार्यवाही से आच्छादित हैं:-**

7(i)- ऐसे ऋणी सदस्य द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण खाते की सम्पूर्ण धनराशि (सभी व्ययों सहित) जमा कर, बन्द करना होगा।

7(ii)- शाखा प्रबन्धक द्वारा ऐसे ऋणी सदस्यों से संलग्न प्रारूप(MKSY003) पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि बन्धक की जाने वाली भूमि भार मुक्त है एवं उसके परिवार का कोई भी सदस्य बैंक का बकायेदार नहीं है।

7(iii)-शाखा प्रबन्धक सुसंगत अभिलेखों सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव संलग्न प्रारूप(MKSY004) पर सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रस्ताव को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय के ऋण अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा। इस पर मुख्यालय की ऋण स्वीकृति कमेटी के परीक्षण एवं प्रबन्ध निदेशक स्तर से स्वीकृति के उपरान्त शाखाओं द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

8- **ग्रेस/जेस्टेशन पीरियड के संबंध में:-**

8(i)- कृषि क्षेत्र, कृषि आधारित अन्य विविधीकरण योजनाओं एवं अकृषि क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में ग्रेस/जेस्टेशन पीरियड, किश्तों का निर्धारण तथा भुगतान अवधि संलग्न तालिका-A के अनुसार किया जाएगा।

8(ii)- ऋणी सदस्य को योजना में लिए गए ऋण के निर्धारित जेस्टेशन पीरियड में ब्याज उपादान का लाभ अनुमन्य होगा।

8(iii)- निर्धारित ग्रेस/जेस्टेशन पीरियड (यदि लागू हो) के उपरान्त ब्याज उपादान उन्हीं कृषकों को अनुमन्य होगा जिनके द्वारा नियत की गयी मासिक किश्त की अदायगी निर्धारित अवधि में कर दी गयी हो।

9- **ऋण वसूली के संबंध में:-**

9(i)- योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली समीक्षा, पोर्टल(**mksyldb.in**) के माध्यम से की जाएगी।

9(ii)- ऋणी सदस्य द्वारा लिये गये ऋण पर प्रत्येक मासिक किश्त की अदायगी तिथि (Due Date) से एक सप्ताह पूर्व एस०एम०एस० के माध्यम से शाखा द्वारा किश्तों के अदायगी की सूचना ऋणी सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजी जायेगी। (संलग्न प्रारूप-MKSY005)

9(iii)- किश्त लगने की तिथि (Due Date) को अदायगी न कर पाने की स्थिति में ऋणी सदस्य का ऋण खाता प्रथम 30 दिनों में विशेष चिन्हित खाता श्रेणी(0) SMA(0) में वर्गीकृत करते हुए शाखा द्वारा सम्बन्धित ऋणी सदस्य को प्रथम नोटिस दी जायेगी।(संलग्न प्रारूप-MKSY006)

9(iv)- 30 दिनों के उपरान्त यदि ऋणी सदस्य द्वारा निर्धारित किश्तों की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में ऋण खाता अगले 30 दिनों हेतु विशेष चिन्हित खाता श्रेणी(1)

SMA(1) में वर्गीकृत करते हुए ऋणी सदस्य को नोटिस शाखा प्रबन्धक के स्तर से निर्गत की जायेगी।(संलग्न प्रारूप-MKSY007)

9(v)- उक्त 60 दिनों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त यदि ऋणी सदस्य द्वारा निर्धारित किश्तों की सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी नहीं की जाती है तो ऋण खाते को विशेष चिन्हित खाता श्रेणी(2) SMA(2) में वर्गीकृत किया जायेगा तथा वसूली हेतु शाखा प्रबन्धक द्वारा नोटिस, पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।(संलग्न प्रारूप-MKSY008)

9(vi)- उक्त प्रेषित की गयी तीनों नोटिसों का अभिलेखीय साक्ष्य शाखा पर सुरक्षित रखा जाएगा।

9(vii)- योजनान्तर्गत यदि ऋणी सदस्य सम्बन्धित जिलाधिकारी/शासन द्वारा घोषित (Notified) क्षेत्रों में दैवीय आपदा/बाढ़/सूखा आदि घोषित होने के उपरान्त ऋण की किश्तों का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में ऋणी सदस्य को 2 माह की अतिरिक्त अवधि का लाभ जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

10- <u>योजनान्तर्गत लेखांकन प्रक्रिया:-</u>

10(i)-ऋण की अदायगी समान किश्तों के स्थान पर समानीकृत किश्तों (EMI) के अनुसार की जायेगी। समानीकृत किश्त (EMI) का निर्धारण 11% ब्याज दर जिसमें ऋणी सदस्य अंश 6% एवं उपादानित अंश 5%, दोनों सम्मिलित होगा।

10(ii)- ड्राइंग लिमिट के स्थान पर अब वितरित ऋण की वसूली सारणी 11% की दर से समानीकृत किश्त (EMI) के रूप में तैयार की जाएगी। पाँच प्रतिशत (5%) का लाभ पात्रता पूरी होने पर समायोजित किया जाएगा, ऋणी कृषक पर प्रभावी ब्याज दर 6% वार्षिक होगी।

10(iii)- शाखाओं द्वारा ऋणी सदस्य लाभार्थियों के ऋण खातों में ऋणों की मॉग के समय योजना से आच्छादित उपादान ब्याज 5% तथा ऋणी सदस्य से प्राप्त किए जाने वाले ब्याज 6% का अंकन पृथक-पृथक किया जायेगा।

10(iv)- योजनान्तर्गत वितरित समस्त ऋणों में ब्याज, Balance Outstanding पर आगणित कर प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को प्रभारित (Charge) करते हुए ऋण खाते को डेबिट किया जाएगा। ग्रेस/जेस्टेशन पीरियड समाप्त होने के उपरान्त आने वाले प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को प्रत्येक किश्त देय होगी।

10(v)- निर्धारित ग्रेस/जेस्टेशन पीरियड (यदि लागू हो) तो ग्रेस/जेस्टेशन अवधि का ब्याज उपादान 5% का लाभ दिया जाएगा। जिसका क्लेम मासिक आधार पर प्रेषित किया जाएगा। Outstanding Pricipal पर ग्रेस/जेस्टेशन अवधि का अवशेष Accrued Interest(अर्जित ब्याज) ग्रेस/जेस्टेशन अवधि समाप्त होने पर प्रथम 3 किश्तों में समायोजित किया जाएगा।

10(vi)- ऋणों की वसूली के समय ऋणी सदस्यों से 6% वार्षिक ब्याज की ही वसूली की जायेगी तथा अवशेष 5% वार्षिक ब्याज की धनराशि की वसूली, ऋण खातों में प्रधान कार्यालय से पावने के रूप में अंकित करते हुये सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि की वसूली पूर्ण की जायेगी तथा

शाखा द्वारा उक्त अवशेष 5.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की धनराशि प्रधान कार्यालय से पावने (Interest Subvention A/c) के रूप में दर्शित की जायेगी।

10(vii)- सम्बन्धित सभी शाखाओं द्वारा लाभार्थीवार सूची सहित प्राप्य ब्याज(Recievable Interest) उपादान प्रतिपूर्ति की धनराशि का समायोजन ऋणी सदस्य कृषकों/लाभार्थियों के ऋण खातों में लेखा पारित करते हुये किया जाएगा।

10(viii)-शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय से पावने के रूप में दर्शित अवशेष 5.00 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज एक अलग शीर्ष "Interest Subvention A/c" में अंकित की जायेगी तथा उक्त धनराशि प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित की जायेगी।

10(ix)-ऋणी सदस्य के खाते में उक्तानुसार मासिक आधार पर ब्याज लगाने के पश्चात् ब्याज की लेखा प्रविष्टि उपरोक्त बिंदुओं की भांति की जाती रहेगी। ऋणी सदस्य के खाते में वसूली की धनराशि का अंकन करने के साथ ही जनरल लेजर में अलग से उपादानित ब्याज हेतु "Interest Subvention A/c" शीर्ष के अन्तर्गत खाता खोला जायेगा। ऋणी सदस्य के ऋण खाते में ब्याज उपादान की धनराशि को- By Interest Subvention करके पोस्टिंग की जायेगी, जिसकी लेखा प्रविष्टि निम्नवत् होगी:-

Interest Subvention A/c.....Dr
To Recovery against Loan A/c

10(x)-पात्र ऋणी सदस्य को प्रदत्त ब्याज उपादान हेतु शाखा स्तर पर एक "ब्याज उपादान एवं प्रतिपूर्ति दावा पंजिका" तैयार की जायेगी, जिसमें ऋणी सदस्य के पूर्ण विवरण सहित कुल आगणित ब्याज, ब्याज उपादान एवं जमा की गयी धनराशि का तिथिवार अंकन संलग्न प्रारूप(MKSY-009) पर किया जायेगा।

10(xi)-शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को ब्याज उपादान की धनराशि का मासिक प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्न लेखा प्रविष्टि की जायेगी:-

H O General A/c.....Dr
To Interest Subvention A/c

10(xii)-संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऋण वितरण होने पर पूर्व की भाँति ऋण खाते को डेबिट करते हुये अवशेष के कालम में दर्शाया जायेगा एवं ब्याज की मासिक गणना करते हुये पूर्ववत् ऋण खाते को डेबिट किया जायेगा तथा समानीकृत किश्त की धनराशि की वसूली होने पर ऋण खाते में क्रेडिट करते हुये खाते का अवशेष निकाला जायेगा।

10(xiii)-ऐसे ऋणी सदस्य जिन्हें रू0 6.00 लाख से अधिक का ऋण दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋणी सदस्य के दो ऋण खाते खोले जायेंगे। प्रथम ऋण खाते में 6.00 लाख का ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर तथा 6.00 लाख से अधिक की धनराशि का दूसरा ऋण खाता 11.00 प्रतिशत अथवा तत्समय प्रचलित ब्याज दर पर खोला जायेगा जिसमें बैंक द्वारा नियमानुसार ही वसूली का अंकन किया जायेगा। ऋणी सदस्य के दोनो ऋण खाते नियमित होने की दशा में ही

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से आच्छादित धनराशि पर ब्याज उपादान का लाभ दिया जाएगा।

10(xiv)-ऋणी सदस्य का खाता एन०पी०ए० हो जाने की दशा में उस खाते की आउटस्टैण्डिग पर आउटर कालम में ब्याज की कम्पाउडिंग न करते हुये अतिदेय (Overdue) किश्त पर 2% वार्षिक दण्ड ब्याज तथा अवशेष आउट्स्टैन्डिंग पर प्रचलित ब्याज ही लिया जायेगा।

10(xv)- ऋण अवधि से पूर्व खाता बन्द करने पर नियमानुसार न्यूनतम 01 वर्ष का ब्याज कमिटमेन्ट ब्याज (ऋणी सदस्य अंश तथा उपादान अंश) के रूप में ऋणी सदस्य से लिया जायेगा।

11- <u>ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की परिचालन विधि:-</u>

11(i)- मासिक ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति उ०प्र० शासन द्वारा प्रति माह की जायेगी।

11(ii)- सम्बन्धित शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा मासिक आधार पर ब्याज उपादान प्राप्त करने योग्य लाभार्थियों की योजनावार एवं लाभार्थीवार सूची ब्याज उपादान गणना विवरण पत्र संलग्न प्रारूप(MKSY010) पर तैयार करते हुए तैयारकर्ता(Maker) सहायक शाखा अँकिक /अँकिक एवं जांचकर्ता(Checker) शाखा प्रबंधक/प्रभारी शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर सहित संलग्न प्रारूप(MKSY-011) पर प्रमाण-पत्र निर्गत कर अगले माह के प्रथम सप्ताह में सम्बंधित सहायक आयुक्त एव सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा प्रस्ताव का सुसंगत नियमों के आलोक में परीक्षण कर प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए सम्बन्धित जनपदीय वरिष्ठ प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे।

11(iii)- जनपदीय वरिष्ठ प्रबन्धक जनपद की समस्त शाखाओं का प्रस्ताव/विवरण स्पष्ट संस्तुति सहित उक्त प्रारूपों पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपलब्ध कराया जाएगा।

11(iv)- सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का नियमों के परिप्रेक्ष्य में उपादान गणना शीट का परीक्षण कर तैयारकर्ता(Maker)सहायक शाखा अँकिक /अँकिक एवं जांचकर्ता(Checker) क्षेत्रीय प्रबंधक के हस्ताक्षर करके संस्तुति सहित संलग्न प्रारूप(MKSY-012) पर प्रमाण-पत्र, जिसमें यह भी सम्मिलित होगा कि प्रस्तुत लाभार्थियों का संदर्भित अवधि से सम्बन्धित ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके पूर्व इसका भुगतान किसी अन्य श्रोत से प्राप्त नहीं किया गया है, को माह के 10 तारीख तक प्रधान कार्यालय पर महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) को प्रेषित किया जाएगा।

11(v)- क्षेत्रीय प्रबंधकों के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर प्राप्त समस्त शाखाओं के मासिक ब्याज प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उप/सहा0 महाप्रबन्धक (लेखा)/सदस्य सचिव, उप/सहा0 महाप्रबन्धक (ऋण) व उप/सहा0 महाप्रबन्धक (वसूली) होंगे। इस समिति द्वारा नियत संलग्न प्रारूप (MKSY-013) पर 03 कार्य दिवसों में ब्याज प्रतिपूर्ति प्रपत्रों के परीक्षण का कार्य सुसंगत नियमों के आलोक में किया जायेगा।

11(vi)- परीक्षणोपरान्त ब्याज प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव का मासिक आधार पर परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराते हुये प्रस्ताव अभिप्रमाणित कराया जायेगा।

11(vii)- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित ब्याज प्रतिपूर्ति के मासिक प्रस्तावों को संस्तुति सहित नियत संलग्न प्रारूप (MKSY-014) पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा सुसंगत नियमों के आलोक में परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाएगा।

11(viii)- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण विभागीय वित्त नियंत्रक से कराकर शासन को स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाएगा।

11(ix)- शासन द्वारा स्वीकृत की गयी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की धनराशि, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्था को अवमुक्त की जायेगी।

11(x)-संस्था द्वारा प्राप्त माहवार ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति धनराशि की सूचना सम्बन्धित शाखाओं को उनके द्वारा प्रेषित योजनावार एवं लाभार्थीवार सूची के अनुसार प्रेषित की जायेगी, जिसे शाखा द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। शाखाओं द्वारा प्राप्त ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान नियमानुसार समायोजित धनराशि से किया जायेगा। यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो शाखा को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:-

चरण	कार्यवाही
1	प्रधान कार्यालय को संसूचित किया जायेगा।
2	यदि ऋण खाते में त्रुटिपूर्ण ब्याज उपदान क्लेम की गई है तो प्रधान कार्यालय की अनुमति प्राप्त कर खाते की गणना को संशोधित करते हुए शाखा के आगामी क्लेम में समायोजित कर लिया जाये।
3	उक्त संशोधन की सूचना प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाये।

11(xi)- शासन से प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाने मात्र से ऋणी सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा। अंतिम पात्रता योजना की शर्तों के अधीन रहेगी।

11(xii)- योजना में लाभार्थी कृषकों को दिए जाने वाले ऋण, ब्याज उपादान सहित समस्त प्रक्रिया का छमाही आधार पर concurrent ऑडिट, उप निदेशक, लेखा परीक्षा, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें द्वारा कराया जाएगा एवं उक्त ऑडिट रिपोर्ट आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता एवं शासन को पृथक से प्रेषित की जाएगी।

11(xiii)-प्रस्तावित योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की योजना की समस्त शर्तों व प्रतिबन्धों का उल्लेख बैंक द्वारा निर्धारित अनुबन्ध (Deed) में भी अवश्य किया जाएगा। सन्दर्भित योजना में ऋण स्वीकृति के पूर्व ऋणी सदस्य द्वारा योजना की शर्तों से सहमति का शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करने तथा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही योजना में ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

12- **निरीक्षण एवं सत्यापन के संबंध में:-**

12(i)- वितरित ऋणों का शाखा द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण/सत्यापन किया जाएगा।

12(ii)- योजनान्तर्गत दिये गये ऋण का किस्त वार सत्यापन व अन्तिम सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही ऋणों का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत किया जायेगा जिसका सत्यापन रजिस्टर में अंकन करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12(iii)-रेण्डम आधार पर प्रत्येक माह में मण्डल की शाखाओं में योजनान्तर्गत वितरित ऋण प्रकरणों के न्यूनतम 15 प्रतिशत का सत्यापन क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना मुख्यालय के ऋण/निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित की जाएगी तथा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12(iv)-जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक द्वारा जनपद की शाखाओं तथा मंडलीय उप आयुक्त एवं उप निबंधक द्वारा संबंधित मंडल की शाखाओं का त्रैमास में वितरित ऋणों का 2% Random आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।

12(v)-योजनान्तर्गत वितरित ऋणों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने अथवा ऋण अनियमित/फर्जी होने की दशा में ऋण पत्रावली तैयारकर्ता कार्मिक, संबंधित लेखा कार्मिक एवं ऋण स्वीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13- शाखा प्रबंधक का उत्तरदायित्व:-

13(i)-ऋण स्वीकृति पत्र में 11% contractual interest और 5% ब्याज उपादान की शर्त स्पष्ट करना।

13(ii)- जेस्टेशन पीरियड/ग्रेस पीरियड का प्रारंभ होने व अंत होने की तिथि को स्पष्ट करना।

13(iii)- ब्याज उपादान क्लेम से पहले ऋण खाते की पात्रता की जांच करना तथा पात्र ऋणी सदस्यों के ऋण खाते में समुचित प्रविष्टि कराना।

13(iv)- ऋण खाते के अपात्र हो जाने की दशा में ब्याज उपदान को स्थगित किया जाना।

13(v)- त्रुटिपूर्ण क्लेम के संबंध में समुचित कार्यवाही करना। duplicate एवं अपात्र क्लेम की रोकथाम करना।

13(vi)- ब्याज अनुदान से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख ऑडिट एवं निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखना।

14- क्षेत्रीय प्रबंधक का उत्तरदायित्व:-

14(i)- शाखावार क्लेम की जांच एवं reconciliation करना।

14(ii)- ऋण खातों के SMA(02) श्रेणी में आने के उपरांत वसूली का अनुश्रवण।

14(iii)- योजना के क्रियान्वयन का शाखावार अनुश्रवण।

14(iv)- प्राप्त ब्याज अनुदान क्लेम को परिक्षणोपरांत ससमय प्रेषित करना।

14(v)- क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नियमित MKSY पोर्टल पर लॉगिन करते हुए शाखाओं से प्राप्त फंड डिमांड की स्वीकृति, ऋण आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार 2 दिनों के अंदर की जाए। अस्वीकृति करने पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए शाखा को वापस की जाए।

अतः मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत वितरित किए जाने वाले ऋणों में उक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। ऋण वितरण, वसूली एवं लेखांकन से संबंधित पूर्व में निर्गत शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

23.10.16

(आर० के० कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- वरिष्ठ प्रबंधक(आई०टी० सेल), उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक की वेबसाइट पर अपलोड एवं समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, को इस निर्देश से कि मण्डल की समस्त शाखाओं में इस योजना में ऋण वितरण हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3- समस्त योजनाधिकारी / नोडल अधिकारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4- प्राचार्य, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बंधित शाखा प्रबन्धक।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- मा० सभापति, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
10- आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
11- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

मुख्य महाप्रबंधक(ऋण)

MKSY-001

(रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

::शपथ पत्र::

समक्षः- शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., शाखा.....जनपद.....

मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी आयुवर्ष निवासी ग्राम

पोस्ट तहसील जनपदशपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता / करती हूँ –

1. यह कि शपथी द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा.....जनपद..... से दिनांक को रु0..... का ऋण लिया गया है।
2. यह कि शपथी द्वारा उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व ग्राम तहसील..... जनपद..... स्थित गाटा संख्या.....की कुल..... हेक्टेयर अपनी कृषि योग्य भूमि को बैंक के पक्ष में बन्धक करते हुए दिनांक..... को बन्धकपत्र निष्पादित किया गया था।
3. यह कि शपथी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी समय से की जा रही है।
4. यह कि शपथी बैंक में संचालित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, में सम्मिलित होना चाहता / चाहती है।
5. यह कि शपथी को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित होने की तिथि से उसके अवशेष मूलधन एवं अवशेष अवधि हेतु उक्त योजना की निर्धारित शर्तों के अधीन ब्याज उपादान का लाभ प्राप्त होगा।
6. यह कि शपथी, उसके द्वारा बैंक के पक्ष में दिनांक को निष्पादित बन्धकपत्र में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का भी पाबंद होगा –
 i. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत 6 लाख की ऋण सीमा तक बैंक में प्रचलित 11% की सामान्य ब्याज दर पर 5% ब्याज उपादान का लाभ देते हुए 6% वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा।
 ii. रु०6 लाख से अधिक के ऋण की दशा में अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज बैंक मेंप्रचलित 11% की सामान्य दर के अनुसार देय होगा।
 iii. ऋण के किश्तों की अदायगी समानीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) में निर्धारित तिथि पर की जायेगी।

शपथी

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 1 से 6 तक में किये गये कथन मेरी निजी जानकारी, सूचना तथा विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही हैं। इसमें न तो कोई आवश्यक तथ्य छिपाया गया है और न ही कोई असत्य कथन किया गया है।

इस प्रमाणिकता पर आज दिनांक को(स्थान) में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया है।

दिनांकः-

स्थानः-

शपथी

(MKSY-002)

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास ग्राम विकास बैंक लि0

शाखाजनपद.....

:: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित करने हेतु विकल्प पत्र ::

मैं.....(ऋणी सदस्य का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम.....
.....पो0.....तहसील.....जनपद.....का/की निवासी हूँ।
मेरे द्वारायोजनान्तर्गत (ऋण खाता सं0.....) बैंक से दिनांक
..को रू0शब्दों में..... का ऋण.....प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया है। मेरे द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी समय से की जा रही है। मुझे मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तो का पूर्णरूप से ज्ञान है। इन नियम व शर्तो पर मैं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ। मेरे द्वारा यह विकल्प पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित करते हुए उ0प्र0 शासन की ब्याज उपादान योजना का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांकः–

मो0नं0:–

प्रार्थी/प्रार्थिनी

(हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान)
नाम–
निवासी ग्राम–
पो0–
तह0–
जनपद–

(MKSY-003)

(रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

:: शपथ पत्र ::

समक्षः– शाखा / वरिष्ठ प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा.....जनपद.....

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....आयु.....वर्ष निवासी ग्राम..... पोस्टतहसील.....जनपद शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता / करती हूँ–

1. यह कि शपथी द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा.....जनपद..... से दिनाँककोयोजनान्तर्गत रू0.....का ऋण लिया गया था।
2. यह कि शपथी द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की पूर्ण अदायगी करते हुए ऋण खाता संख्या दिनांक को बन्द कर दिया गया है।
3. यह कि शपथी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत बैंक शाखा सेयोजना हेतु रू0 का ऋण लेना चाहता है।
4. यह कि शपथी उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व ग्रामतहसील.....जनपद..... में स्थित गाटा संख्या की कुलहेक्टेयर अपनी कृषि योग्य भूमि को बैंक के पक्ष में बन्धक कर रहा है।
5. यह कि शपथी द्वारा बन्धक की जाने वाली उक्त भूमि समस्त प्रकार के भार से मुक्त है एवं विवाद रहित है।
6. यह कि शपथी द्वारा बैंक पक्ष में बन्धक की गई भूमि को ऋण की ब्याज सहित पूर्ण अदायगी किये जाने तक न तो विक्रय किया जायेगा, न ही अन्यत्र कहीं बन्धक किया जायेगा ।
7. यह कि शपथी के परिवार का कोई भी सदस्य बैंक का बकायेदार नही है।

शपथी

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 1 से 7 तक में किये गये कथन मेरी निजी जानकारी, सूचना तथा विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही हैं। इसमें न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही कोई असत्य कथन किया गया है।

इस प्रमाणिकता पर आज दिनांक.....को(स्थान) में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया है।

शपथी

दिनाँकः–

स्थानः–

(MKSY-004)

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास ग्राम विकास बैंक लि0

शाखाजनपद.....

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
क्षेत्रीय कार्यालय–.....।

महोदय,

निम्नलिखित विवरण के अनुसार शाखा के बकायेदार कृषकों द्वारा अपना सम्पूर्ण ऋण (तातारीख ब्याज सहित) जमा करते हुए अपना ऋण खाता बन्द कर दिया गया है। इन ऋणी सदस्यो द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रधान कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर शाखा को संसूचित करने का कष्ट करें–

क0 सं0	कृषक का नाम	खाता सं0	दि0को बकाया धनराशि	जमा की गयी धनराशि	खाता बंद की तिथि	अन्य विवरण (सामान्य/ऋण राहत/OTS)

भवदीय,

शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक
शाखा
जनपद

(MKSY-005)

:SMS:

महोदय,

आपके ऋण खाता सं0.....की किश्त धनराशि रु०..... दिनांक.....को देय हो रही है। कृपया समय से किश्त जमा करें। BM-LDB



(MKSY-006)

: प्रथम वसूली नोटिस : SMA(0)

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

शाखा-....., जनपद-..... ऋण खाता सं0-.....

पत्रांक-..... दिनांकः-.....

महोदय,

सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत लिये गये ऋण की किस्त दिनांक.....को देय थी। जिसकी **कुल धनराशि रू0..... शब्दों में.....** है। इस संबंध में आपको पूर्व में भी सूचित किया गया था। किन्तु आपके द्वारा देय किस्त की अदायगी नहीं की गई है। जिसके कारण आपका ऋण खाता विशेष चिन्हित खाता श्रेणी-0 में वर्गीकृत हो गया है।

अतः आपको इस शाखा से देय किश्त की अदायगी के सम्बन्ध में नोटिस भेजी जा रही है कि आप ऋण खाते के सापेक्ष देय हो चुकी देय **धनराशि रू0..... शब्दों में.....** शाखा में तत्काल जमा कर दें। यदि **दिनांक.....**तक आपके द्वारा धनराशि अदा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत ब्याज में उपादान(5%) का लाभ प्राप्त नहीं होगा एवं 11% की दर से ब्याज लिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा से संपर्क करें।

शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

नामः-

हस्ताक्षर(मुहर सहित)

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पिता/पति.....

पता-(ग्राम).....

पोस्ट.....

तहसील.....

जिला.....

मो०नं०.....

(MKSY-007)

: द्वितीय वसूली नोटिस : SMA(1)

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

शाखा-....., जनपद-..... ऋण खाता सं0-.....

पत्रांक-.....

दिनांकः-.....

महोदय,

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत लिये गये ऋण के सापेक्ष देय हो चुकी किश्तों की **कुल धनराशि रू0.....शब्दों में.....** की अदायगी नहीं की गयी है। जिसके कारण आपका ऋण खाता विशेष चिन्हित खाता श्रेणी-1 में वर्गीकृत हो गया है। इसकी सूचना पूर्व में प्रेषित नोटिस के माध्यम से दी जा चुकी है।

अतः आपको इस शाखा से देय किश्त की अदायगी के सम्बन्ध में पुनः नोटिस भेजी जा रही है कि आप ऋण खाते के सापेक्ष देय हो चुकी समस्त देय किश्तों की **धनराशि रू0..... शब्दों में.....** शाखा में तत्काल जमा कर दें। यदि **दिनांक**.....तक आपके द्वारा देय किश्तों की समस्त धनराशि अदा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत ब्याज में उपादान(5%) का लाभ प्राप्त नहीं होगा एवं 11% की दर से ब्याज लिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा से संपर्क करें।

शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

नामः-

हस्ताक्षर(मुहर सहित)

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पिता/पति.....

पता-(ग्राम).....

पोस्ट.....

तहसील.....

जिला.....

मो०नं०.....

: तृतीय वसूली नोटिस : SMA(2)

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

शाखा-....., जनपद-..... ऋण खाता सं0-.....

पत्रांक-..... दिनांकः-.....

महोदय,

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत लिये गये ऋण के सापेक्ष देय हो चुकी किश्तों की **कुल धनराशि रू0.....शब्दों में.....** की अदायगी नहीं की गयी है। जिसके कारण आपका ऋण खाता विशेष चिन्हित खाता श्रेणी-2 में वर्गीकृत हो गया है। इसकी सूचना पूर्व में प्रेषित नोटिसों के माध्यम से दी जा चुकी है।

अतः आपको इस शाखा से देय किश्त की अदायगी के सम्बन्ध में अन्तिम नोटिस भेजी जा रही है कि आप ऋण खाते के सापेक्ष देय हो चुकी समस्त देय किश्तों की **धनराशि रू0..... शब्दों में.....** शाखा में तत्काल जमा कर दें। यदि **दिनांक**.....तक आपके द्वारा देय किश्तों की समस्त धनराशि अदा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको **"मुख्यमंत्री कृषक समद्धि योजना"** के अन्तर्गत ब्याज में उपादान(5%) का लाभ प्राप्त नहीं होगा एवं 11% की दर से ब्याज लिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा से संपर्क करें।

शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

नाम:-

हस्ताक्षर(मुहर सहित)

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पिता/पति.....

पता-(ग्राम).....

पोस्ट.....

तहसील.....

जिला.....

मो०नं०.....

(MKSY-009)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत शाखा द्वारा तैयार किये जाने वाले उद्देश्यवार ऋण वितरण रजिस्टर का प्रारूप

(धनराशि रुपये में)

क0	ऋण वितरण का उद्देश्य	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम व पोस्ट	खाता सं0	स्वीकृत ऋण की धनराशि	EMI की धनराशि	जमा की गयी कुल धनराशि	जमा करने की तिथि	11% की दर से देय ब्याज की धनराशि	5% ब्याज उपादान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(MKSY-010)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत शाखा द्वारा प्रस्तुत ब्याज उपादान क्लेम का प्रारूप

शाखा.....जनपद.....

माह.....वर्ष.....

(धनराशि रू0 में)

क्र0	ऋण वितरण का उद्देश्य	कृषक का नाम	खाता सं0	कुल वितरित धनराशि का विवरण	Principal outstanding (As on Date)	लगे हुए ऋण का प्रोडक्ट	प्रोडक्ट पर आंकलित 5 प्रतिशत ब्याज उपादान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रस्तुतकर्ता (Maker)

सहा0 शाखा आंकिक/आंकिक

जॉचकर्ता (Checker)

शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

(MKSY-011)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

शाखा.....जनपद.....

माह.....वर्ष.....

–प्रमाण पत्र–

(धनराशि रू0 में)

क0	कुल ऋणी कृषक संख्या	माह में वितरित कुल ऋण	11 प्रतिशत की दर से देय ब्याज	6 प्रतिशत कृषक अंश (ब्याज)	5 प्रतिशत ब्याज उपादान
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि माह के लिए कृषक समृद्धि योजना के अर्न्तगत प्रस्तुत ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति दावा शाखा के ऋण अभिलेख, ब्याज गणना, अदायगी की स्थिति तथा उपलब्ध योजना निर्देशों के आधार पर सत्यापित किया गया है। ग्रेस अवधि तथा पूर्व में दिये गये अनुदान का आवश्यक परीक्षण किया गया है। क्लेम की गयी ब्याज उपादान की धनराशि संदर्भित अवधि से सम्बन्धित ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि/संज्ञान में आता है कि ब्याज उपादान की धनराशि अधिक क्लेम की गयी है तो उसे तत्काल शासन को वापस किया जायेगा।

प्रस्तुतकर्ता (Maker) **जॉचकर्ता** (Checker) **हस्ताक्षर–**

नाम–

सहा0 शाखा आंकिक/आंकिक **शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक** **शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक**

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक

(MKSY-012)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

मण्डल.....

माह.....वर्ष.....

–प्रमाण पत्र–

(धनराशि रू0 में)

क0	कुल ऋणी कृषक संख्या	शाखा का नाम	माह में वितरित कुल ऋण	11 प्रतिशत की दर से देय ब्याज	6 प्रतिशत कृषक अंश (ब्याज)	5 प्रतिशत ब्याज उपादान
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न सूची में दर्शाये गये खाते योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार सत्यापित किये गये है। दावा की गई राशि की गणना योजना की शर्तों के अधीन की गई है। क्लेम की गयी ब्याज उपादान की धनराशि संदर्भित अवधि से सम्बन्धित ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि/संज्ञान में आता है कि ब्याज उपादान की धनराशि अधिक क्लेम की गयी है तो उसे तत्काल शासन को वापस किया जायेगा।

उक्तानुसार क्लेम की गयी ब्याज उपादान की धनराशि रू0(शब्दो में) उक्त शाखाओ .को अन्तरित करते हुये प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर मोहर सहित–

नाम–

क्षेत्रीय प्रबन्धक

(MKSY-013)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

माह.....वर्ष.....

ब्याज प्रतिपूर्ति परीक्षण कमेटी
–प्रमाण पत्र–

(धनराशि रू0 में)

क0	कुल ऋणी कृषक संख्या	मण्डल	11 प्रतिशत की दर से देय ब्याज	6 प्रतिशत कृषक अंश (ब्याज)	5 प्रतिशत ब्याज उपादान
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि–

1–.....मण्डल की कुलशाखाओं.से प्राप्त विवरण पत्र में अंकित सूचना का परीक्षण कर लिया गया है जिनको सही पाया गया है।

2–तालिका के क्रमांक 05 के अनुसार मांग की गयी ब्याज उपादान की धनराशि का क्लेम प्रथम बार किया जा रहा है।

3–ब्याज उपादान की गणना उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप की गयी है।

क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा प्रधान कार्यालय को उपलब्ध कराई गई ऋणी सदस्य/लाभार्थीवार सूची के अनुसार मांग की गयी ब्याज उपादान की धनराशि रू0(शब्दो में) की प्रतिपूर्ति कराने की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः–

सदस्य/सचिव के हस्ताक्षर– **सदस्य के हस्ताक्षर–** **सदस्य के हस्ताक्षर–** **सदस्य के हस्ताक्षर–**

नाम– **नाम–** **नाम–** **नाम–**

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

नाम-

(MKSY-014)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

:: ब्याज उपादान (5%) का भुगतान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र ::

(मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत शाखाओं द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा रू0 6.00 लाख तक अनुमन्य ब्याज उपादान)

माह.....वर्ष.....

–मांग पत्र–

(धनराशि रू0 में)

क0	कुल ऋणी कृषक संख्या	11 प्रतिशत की दर से देय ब्याज	6 प्रतिशत कृषक अंश (ब्याज)	5 प्रतिशत ब्याज उपादान
1	2	3	4	5

उक्त योजनान्तर्गत प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परीक्षणोंपरान्त क्लेम की गयी ब्याज उपादान की धनराशि रू0(शब्दो में) उ0प्र0 शासन से प्रतिपूर्ति कराने की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः–

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0